

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar,
Janpath, Jaipur

Notice is hereby given that Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RVUN) has filed a petition before the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) for 'In Principle' approval of capital expenditure of Rs. 6860.41 Cr. for implementation of revised emission norms as per Environment Protection (Amendment) Rules, 2015.

Copies of the petition are available for inspection/ perusal and sale on payment of Rs. 100/- in the RERC office and in the office of the Petitioner at Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur. The petition is also available at RVUN website www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl and on RERC website www.erc.rajasthan.gov.in.

Persons desirous to file comments/suggestions may furnish it to the Receiving Officer, RERC, Vidyut Viniyamak Bhawan, Near State Motor Garage, Sahkar Marg, Jaipur -302001 with supporting details and an affidavit in form-3 of RERC (Transaction Of Business) Regulations 2005, in six copies, so as to reach the Receiving Officer on or before 29.05.19.

Addl. Chief Engineer (PPMC&IT)
RVUN, Jaipur.

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर –302005.

सार्वजनिक सूचना

सूचना दी जाती है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (रा.वि.उ.नि) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (रा.वि.नि.आ) के समक्ष पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम , 2015 के अनुसार संशोधित उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए 6860.41 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए याचिका प्रस्तुत की है।

आवेदन की प्रतियां आयोग के कार्यालय में तथा याचिकाकर्ता के कार्यालय, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर में निरीक्षण/ पढने के लिए उपलब्ध रहेगी एवम याचिका की प्रति 100/- रुपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका रा.वि.उ.नि की वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl तथा रा.वि.नि.आ की वेबसाइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित याचिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक है तो वह प्राप्ति अधिकारी, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैरिज के पास सहकार मार्ग जयपुर-302001 को सहायक जानकारी एवम रा.वि.नि.आ (कारोबार का संचालन) विनियम 2005 के हलफनामों के प्रारूप 3 के साथ भेज अथवा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आपत्ति/सुझाव छः प्रतियो में प्रस्तुत किये जावें तथा प्राप्ति अधिकारी को दिनांक 29.05.19 तक या उससे पहले तक पहुँच जाने चाहिये।

अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.सी. एंड आई. टी.)
रा.वि.उ.नि., जयपुर